



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26072025-264961
CG-MH-E-26072025-264961

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3322]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2025/श्रावण 2, 1947

No. 3322]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2025/SHRAVANA 2, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 24 जुलाई, 2025

का.आ. 3398(अ).—केंद्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 26 मार्च, 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ .1503(अ) तारीख, 26 मार्च, 2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य में जिला खेड़ा में पश्चिम रेलवे पर वडोदरा डिवीजन के वडोदरा-गेरतपुर खंड के बीच किमी 444/10-12 पर एल सी नंबर 271 के बदले में 2 लेन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों “निर्मल गुजरात” (गुजराती), “यंग लीडर” (हिंदी) और “द इंडियन एक्सप्रेस” (अंग्रेज़ी) में तारीख 02 अप्रैल, 2025 को प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20डी को उप.धारा (1) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वाक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर अनन्य रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

विषय: विशेष रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (संरचना सहित या बिना संरचना के), अर्थात् —"पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के वडोदरा-गेरतपुर खंड के बीच कि.मी. 444/10-12 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 271 के स्थान पर दो लेन के रोड ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) का निर्माण", जो गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में स्थित है, जैसा कि डी.आई.एल.आर. खेड़ा- नडियाद द्वारा तैयार की गई संयुक्त मापन पत्रक में दर्शाया गया है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में पश्चिम रेलवे पर वडोदरा डिवीजन के वडोदरा-गेरतपुर खंड के बीच कि.मी. 444/10-12 पर एल सी नंबर 271 के बदले में 2 लेन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण नाम की विशेष रेल परियोजना के लिए संरचना के साथ या उसके बिना अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य : गुजरात

ज़िला: खेड़ा

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	जमिन मालिक /रुचिकर व्यक्ति
तालुका : नडियाद (ग्रामीण)						
1.	उत्तरसंडा	NA 1139	निजी	गैर-कृषि	0-01-33	जिग्नेश कुमार हरीशंकर पंडित
2.	उत्तरसंडा	1144	निजी	कृषि	0-01-35	सनातन जैन धर्म के ट्रस्टी श्रीमद राजचंद्र अराधक मंडल हीरालाल मोतीलाल शाह चिमनलाल चतुरभाई ईश्वरभाई बालूभाई रमेश चंद्र चनाचंद तिलकचंद्र रविचंद्र
3.	उत्तरसंडा	1845	निजी	कृषि	0-01-58	जयेशभाई चंदूभाई, कैलासबेन चंदूभाई की बेटी, तरुबेन चंदूभाई की बेटी, उर्मिलाबेन चंदूभाई की बेटी, भानुबेन जशभाई आशाभाई की विधवा, उपेन्द्रभाई जशभाई पटेल, हर्षिताबेन जशभाई की बेटी, कल्पेश सूर्यकांत भाई, नीरव सूर्यकांत भाई
4.	उत्तरसंडा	1856	निजी	कृषि	0-00-63	दीप जीतेन्द्र कुमार देसाई
				कुल	0-04-89	

[फा. सं E. -619607-03]

राजेन्द्र कुमार, मुख्य परियोजना प्रबंधक/निर्माण-I

MINISTRY OF RAILWAYS
[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th July, 2025

S.O. 3398(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) (Published in the Gazette of India, under notification No.1503 of dated 26.03.2025 Extra Ordinary-part II- Section-3 -Sub-section (ii)) (here in after referred to as the said notification) under subsection(I) of section 20A of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to be acquired the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the CONSTRUCTION OF 2 LANE ROAD OVER BRIDGE (ROB) IN LIEU OF LC NO.271 AT KM 444/10-12 BETWEEN SECTION VADODARA-GERATPUR OF VADODARA DIVISION ON WESTERN RAILWAY Project in District Kheda in the State of Gujarat.

And, whereas, the substance of the said notification was published in daily local Gujarati newspaper “NIRMAL GUJARAT” dated 02nd April 2025, Hindi newspaper “YOUNG LEADER” dated 02nd April 2025 and English newspaper “THE INDIAN EXPRESS” dated 02nd April 2025 under subsection (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, no objection has been received by the competent authority.

And, whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report of the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central government here by declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

Sub: Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: CONSTRUCTION OF 2 LANE ROAD OVER BRIDGE (ROB) IN LIEU OF LC NO.271 AT KM 444/10-12 BETWEEN SECTION VADODARA-GERATPUR OF VADODARA DIVISION ON WESTERN RAILWAY Project in District Kheda in the state of Gujarat as per joint measurement sheet prepares by DILR Kheda-Nadiad.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely :
 CONSTRUCTION OF 2 LANE ROAD OVER BRIDGE (ROB) IN LIEU OF LC NO.271 AT
 K.M. 444/10-12 BETWEEN SECTION VADODARA-GERATPUR OF VADODARA
 DIVISION ON WESTERN RAILWAY Project in the state of Gujarat.

State : GUJARAT

District : Kheda

Sr. No.	Village Name	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be Acquire (in Sqm)	Name of Land Owner/Interested Person
Taluka : Nadiad (Rural)						
1	Uttarsanda	NA1139	Private	Non - Agriculture	0-01-33	Jigneshkumar Harishankar Pandit
2	Uttarsanda	1144	Private	Agriculture	0-01-35	Trustees of Sanatan Jain Dharma Srimad Rajachandra Araghak Mandal Hiralal Motilal Shah Chimanlal Chaturbhai Iswarbhai Balubhai Ramesh Chandra Chanachand Tilakchandra Ravichandra
3	Uttarsanda	1845	Private	Agriculture	0-01-58	Jayeshbhai Chandubhai Daughter of Kailasben Chandubhai Daughter of Taruben Chandubhai

						Daughter of Urmilaben Chandubhai Bhanuben Jashbhai Ashabhai's widow Upendrabhai Jashbhai Patel Daughter of Harshitaben Jashbhai Kalpesh Suryakantbhai Nirav Suryakantbhai
4	Uttarsanda	1856	Private	Agriculture	0-00-63	Deep Jeetendrakumar Desai
				TOTAL	0-04-89	

[F. No. E. -619607-03]

RAJENDRA KUMAR, Chief Project Manager/Construction/I